## न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)
**बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस**
**प्रकरण संख्या 46 / 2011 रा.वा.**
जी.सी.एम.एस. नम्बर—2011 / 00055
**उनवान**

1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि सुखलाल जी करणपुरिया उम्र बालिग निवासी सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

—वादिया

**बनाम**

1. श्री पुनमचन्द पिता मेघराज उम्र बालिग जाति सुथार निवासी बम्बोरा
2. श्री भॅवरलाल पिता मेघराज उम्र बालिग जाति सुथार निवासी बम्बोरा
3. श्रीमती कमलादेवी पत्नि नारायणजी सुथार उम्र बालिग निवासी सलूम्बर
4. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब सलुम्बर।

—प्रतिवादीगण

**वाद बाबत् पांती बंटवाडा, घोषणा कराने खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

—::निर्णय::—

दिनांकः— 06/01/2026

.....

**उपस्थितः—** 1. श्री गेबीलाल मेहता — अधिवक्ता वादीया
2. श्री दिनेश कुमार जैन — प्रतिवादी सं. 1, 2, 3

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संस्थित किया गया। वाद में उभयपक्ष की बहस सुनकर इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03—06—2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया गया तथा मौजा दूदर पटवार हल्का डाल हाल पटवार हल्का धारोद की आराजी संख्या 342 रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं वादिया का 1/2 हिस्सा तथा आराजी नम्बर 343 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि मे वादिया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 तीन का 1/2 हिस्से अनुसार विधिवत माप एवं सीमाओ द्वारा पांती बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार, सलूम्बर द्वारा पत्रांक 721 दिनांक 15—10—2025 के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष के अधिवक्ता को कराया गया, जिस पर उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई तथा पालना रिपोर्ट के अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष को सुना जाकर एवं पालना रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। पालना रिपोर्ट में आराजी नम्बर 342 रकबा 0.29 हैक्टेयर मेसे भूमि विक्रय होने उक्त आराजी के कुल तीन नये आराजी नम्बर 1778 / 342, 1749 / 342, 1750 / 342

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बनना जाहिर आया है। उक्त दो आराजी नम्बर 1748/342 रकबा 0.0279 हैक्टेयर भूमि क्रेता पुष्पादेवी पत्नी भगवानलाल हिस्सा 1/2 भगवानला पुत्र जसराज हिस्सा 1/2 जाति जैन सा. सलूम्बर व आराजी नम्बर 1749 रकबा 0.0278 हैक्टेयर क्रेता जयप्रकाश पुत्र डालचन्द जैन सा. सलूम्बर के नाम दर्ज रेकॉर्ड है व आराजी नम्बर 1750 रकबा 0.2343 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य शामलाती दर्ज रेकॉर्ड है। अतः मौजा दूदर पटवार हल्का डाल हाल पटवार हल्का धारोद की आराजी संख्या 342 रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि मेसे पक्षकरा विक्रय की गई भूमि क्रेतागण के हिस्से रखते हुए एवं पक्षकार के हिस्से से कम करते हुए शेष रकबा 0.2343, आराजी नम्बर 343 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. **प्रथम हिस्सा** – लालीदेवी पत्नी सुखलाल करणपुरिया के खाते आराजी नम्बर 1750/342/2 रकबा 0.1450 हैक्टेयर, भूमि किस्म ह.द्वि. व लगान 1.17 रूपये।
2. **द्वितीय हिस्सा** – धर्मचन्द मिठालाल राजमल सविता पिता पुनमचन्द लेहरीबाई पत्नी पुनमचन्द 1/2, भंवरलाल पुत्र मेघराज हिस्सा 1/2 जाति सुथार सा. बम्बोरा तहसील गिर्वा के संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 1750/342/1 रकबा 0.0893 हैक्टेयर, भूमि किस्म–ह.द्वि. व लगान 0.73 रूपये।
3. **तृतीय हिस्सा** – लक्ष्मीदेवी पत्नी सुखलाल जाति करणपुरिया सा. सलुम्बर खातेदार आराजी नम्बर 343/2 रकबा 0.075 हैक्टेयर, भूमि किस्म– ह.द्वि. व लगान 0.345 रूपये।
4. **चतुर्थ हिस्सा** – कलादेवी पत्नी नारायणलाल सुथार सा. सलूम्बर के खाते आराजी नम्बर 343/1 रकबा 0.075 हैक्टेयर, भूमि किस्म ह.तृ. व लगान 0.345 रूपये।

उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वादी के विधिसम्मत हिस्से की आराजीयात भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, दखल अथवा बाधा उत्पन्न न करें।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय एवं डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। माफिक निर्णय अन्तिम डिक्री कायम की जाकर पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

# मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), सलूम्बर जिला–सलूम्बर

**बईजलास जगदीश चन्द्र बामनिया, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 46/2011 रा.वा.**

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2011/00055

**उनवान**

1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि सुखलाल जी करणपुरिया उम्र बालिग निवासी सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

**–वादिया**

**बनाम**

1. श्री पुनमचन्द पिता मेघराज उम्र बालिग जाति सुथार निवासी बम्बोरा
2. श्री भॅवरलाल पिता मेघराज उम्र बालिग जाति सुथार निवासी बम्बोरा
3. श्रीमती कमलादेवी पत्नि नारायणजी सुथार उम्र बालिग निवासी सलूम्बर
4. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब सलुम्बर।

**–प्रतिवादीगण**

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**

वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादिया की और से एडवोकेट श्री गेबीलाल मेहता एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 06/01/26 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा दूदर पटवार हल्का डाल हाल पटवार हल्का धारोद की आराजी संख्या 342 रकबा रकबा 0.2343 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 343 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री के आदेश दिये जाते है–

1. **प्रथम हिस्सा** – लालीदेवी पत्नी सुखलाल करणपुरिया के खाते आराजी नम्बर 1750/342/2 रकबा 0.1450 हैक्टेयर, भूमि किस्म ह.द्वि. व लगान 1.17 रूपये।
2. **द्वितीय हिस्सा** – धर्मचन्द मिठालाल राजमल सविता पिता पुनमचन्द लेहरीबाई पत्नी पुनमचन्द 1/2, भंवरलाल पुत्र मेघराज हिस्सा 1/2 जाति सुथार सा. बम्बोरा तहसील गिर्वा के संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 1750/342/1 रकबा 0.0893 हैक्टेयर, भूमि किस्म–ह.द्वि. व लगान 0.73 रूपये।
3. **तृतीय हिस्सा** – लक्ष्मीदेवी पत्नी सुखलाल जाति करणपुरिया सा. सलुम्बर खातेदार आराजी नम्बर 343/2 रकबा 0.075 हैक्टेयर, भूमि किस्म– ह.द्वि. व लगान 0.345 रूपये।
4. **चतुर्थ हिस्सा** – कलादेवी पत्नी नारायणलाल सुथार सा. सलूम्बर के खाते आराजी नम्यर 343/1 रकबा 0.075 हैक्टेयर, भूमि किस्म ह.तृ. व लगान 0.345 रूपये।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय एवं डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सलुम्बर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 06/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
**सहायक कलक्टर,**
**सलुम्बर**
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

| वादी | रूपये | पैसे | प्रतिवादी | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 01 | — | शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प | 01 | — |
| 2. शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प | 01 | — | अर्जी के लिए स्टाम्प | — | — |
| 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | 01 | — | प्लीडर की फीस | — | — |
| 4. रूपये पर लीडर की फीस | — | — | सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | — | — |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | — | — | आदेशिका की तामील | — | — |
| 6. कमिश्नर की फीस (तलवाना) | 02 | — | कमिश्नर की फीस | — | — |
| 7. आदेशिका की तामील | — | — | | — | — |
| योग | 05 | — | योग | 01 | — |

सहायक कलक्टर,
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)